

(आदेश 20 नियम 6,7 जा,दी.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी

श्री जवाहर लाल जैन आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी

1. मु. शान्ताबाई बेवा हिम्मतलाल वेद निवासी बोहेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
  2. श्रीबद्रीलाल पिता गोर्धनलाल वेद निवासी बोहेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
  3. श्री चमनलाल पिता गोर्धनलाल वेद निवासी बोहेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
  4. श्री नारायणलाल पिता गोर्धनलाल वेद निवासी बोहेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
  5. श्री मु. मोहनीबाई बेवा गोर्धनलाल वेद निवासी बोहेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- वादीगण

।।बनाम।।

- 1.श्री मु. प्रेमलता पत्नी उंकारलाल नागदा निवासी बोहेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 2.उंकारलाल पिता हेमा नागदा निवासी बोहेड़ा तह. बड़ीसादड़ी
- 3.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बड़ीसादड़ी

प्रतिवादीगण

प्रकरण सं. 06/2014 वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.ए. वादी की ओर से वकील दिनेश कुमार वैष्णव और प्रतिवादी की ओर से वकील एक्स पार्टी की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है। कि मौजा बोहेड़ा की वादग्रस्त आ.न. 2247,2248,2250,2251,,2254 कुल किता 05 रकबा 2.66 हैक्टर भूमि का बंटवाड़ा पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार किया जाता है।

1.श्री प्रेमलता पत्नि उंकारलाल नागदा निवासी बोहेड़ा के रहेगी।

आ.न.	रकबा	लगान
2250	0.64	16.64
2251मी.	0.05	0.15
2254मी.	0.64	8.32
योग 03	1.33	25.11

2.श्री शान्ताबाई बेवा हिम्मतलाल 1/5 चमनलाल पिता गोर्धनलाल 1/5 बद्रीलाल पिता गोर्धनलाल 1/5 नारायणलाल पिता गोर्धनलाल 1/5 मोहनीबाई बेवा गोर्धनलाल 1/5 वेद निवासी बोहेड़ा तह. बड़ीसादड़ी के रहेगी।

आ.न.	रकबा	लगान
2247	0.47	6.11
2248	0.37	9.62
2251/1	0.06	0.18
2254/1	0.23	2.99
2254/2	0.20	2.60
योग 04	1.33	21.50

इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे ।

इस वाद के खर्चे..... प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित..... को दी जावे।यह आज दिनांक 7.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

जवाहर लाल जैन (R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी  
बड़ीसादड़ी

